FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अजअदालत——जिलाकलक्टरमुकाम : दौसा

रामेश्वरप्रसाद**बनाम** **नगरपरिषददौसाआदि**

किस्ममुकदमा: प्रा0पत्र नम्बर—107 / 2008

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकामजो इस हुक्म की तामीलमेंजारीहुए
26.3.2025	प्रार्थी रामेश्वर बैरवा अनुपस्थित। नगरपरिषद दौसा की ओर से श्री अब्दुल मजीद अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामेश्वर प्रसाद बैरवा ने नगरपालिका मण्डल दौसा द्वारा इन्द्रा कॉलोनी योजना से लगती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 जयपुर आगरा रोड पर आवासीय भूखंडों की नीलामी रूकवाने हेतु दिनांक16.8.2002 को तत्कालीन जिला कलक्टर दौसा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। नगर परिषद दौसा की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने इन्द्रा कॉलोनी आवासीय योजना में प्रार्थी द्वारा जयपुर—आगरा रोड पर अस्थाई अतिक्रमण कर लिया था जिसको नगरपालिका दौसा द्वारा हटा दिया गया था जिसके कारण नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ प्रार्थी रामेश्वर बैरवा ने मुकदमा सं0 270 / 1998 थाना कोतवाली में दर्ज करवाया था जिसे तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार की गई थी तथा अतिक्रमण उसी समय हटवा दिया गया था। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीके प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं नगर परिषद दौसा के अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त नीलामी को रूकवाने हेतु निवेदन किया है। हमने कार्यालय टिप्पणी दिनांक 23.8.2002 का अवलोकन किया जिसमें यह अंकित किया गया है कि पत्र निश्चित अवधि के बाद प्राप्त हुआ है। नीलामी को रोकने के आदेश पारित करना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र किस धारा अथवा प्रावधान के तहत इस न्यायालय में विचाराधीन है यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा जा रहा है वह अनुतोष इस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा भूमि की नीलामी रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि इस न्यायालय में पोषणीय (मेन्टेनेबल) नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 11:20:22 IST Reason: SelfAttested Devendra जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official